न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2025/5087 दिनांक – 09.06.25

प्रार्थीनी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 कनको देवी पत्नि जुगताराम जाति रबारी निवासी मीठाड़ी खुर्द तहसील व जिला बाड़मेर।		1 ऋतिक बोहरा पुत्र रामलाल जाति जैन निवासी ढाणी बाजार बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर 2 अमरा पुत्र पेमा फौत के विधिक वारिसान 2/1 पांची देवी पत्नि स्व. अमरा 2/2 कानाराम 2/3 चैनाराम 2/4 रमेश पिसरान अमरा 3 आम्बा 4 केवा 5 निम्बा पिसरान आईदान 6 पना पुत्र जगना 7 बालाराम 8 बींजाराम 9 मगाराम पिसरान गेनाराम 10 मथरी पुत्री दला 11 मोरी पुत्री गेनाराम 12 रम्भा पत्नि गेनाराम 13 सवाईराम पुत्र नरीगा जाति रबारी निवासी आटी तहसील व जिला बाड़मेर 14 खुमाणसिंह पुत्र भूरसिंह राजपुत जाति रबारी निवासी आटी तहसील व जिला बाड़मेर 15 तहसीलदार बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,करने नेखमबन्दी बाबत

राजस्व आवेदन संख्या :– 22/2025

दिनांक– 30/05/25

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा आटी पटवार क्षेत्र आटी तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 484/30 रकबा 0.9712हैक्टयर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीनी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीनी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(वीरमा राम)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :– रीडर/2025/5088-91

दिनांक– 09.06.25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी आटी तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीनी कनको देवी पत्नि जुगताराम जाति रबारी निवासी मीठाड़ी खुर्द तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण ऋतिक बोहरा पुत्र रामलाल जाति जैन निवासी ढाणी बाजार बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर